क्रम-संख्या–239

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 15 दिसम्बर, 2016

अग्रहायण 24, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–1

संख्या 20/2016//2868/6–पु–1–16–110-1992-टी०सी०

लखनऊ, 15 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–87

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) सेवा नियमावली, 1993 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) सेवा नियमावली, 1993 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 4 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप–नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप–नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1

विद्यमान उपनियम

(2) जब तक कि उप–नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी नीचे दी गयी है:–

पद का नाम	पदों की संख्या		
	अस्थायी	स्थायी	योग
पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लिपिक शाखा)	15	—	15
पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा)	06	—	06
पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा)	35	—	35

परन्तु यह कि :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(2) जब तक कि उप–नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी नीचे दी गयी है:–

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या		
		अस्थायी	स्थायी	योग
1	पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लिपिक शाखा)	15	—	15
2	पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा)	06	—	06
3	पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा/आशुलिपिक रिपार्टर शाखा)	35	—	35

परन्तु यह कि :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

नियम 5 का प्रतिस्थापना

3–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1

विद्यमान नियम

भर्ती का स्रोत

5–पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) के विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(एक) पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लिपिक शाखा)– मौलिक रूप से नियुक्त निरीक्षकों (लिपिक शाखा) में से पदोन्नति द्वारा।

(दो) पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा)– मौलिक रूप से नियुक्त निरीक्षकों (लेखा शाखा) में से पदोन्नति द्वारा।

(तीन) पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा)– मौलिक रूप से नियुक्त निरीक्षकों (गोपनीय सहायक शाखा) में से पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

भर्ती का स्रोत

5–पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) के विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(एक) पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लिपिक शाखा)– मौलिक रूप से नियुक्त निरीक्षकों (लिपिक शाखा) में से पदोन्नति द्वारा।

(दो) पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा)– मौलिक रूप से नियुक्त निरीक्षकों (लेखा शाखा) में से पदोन्नति द्वारा।

(तीन) पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा)– मौलिक रूप से नियुक्त निरीक्षकों (गोपनीय सहायक शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) में से पदोन्नति द्वारा।

नियम 8 का संशोधन

4–उक्त नियमावली में, नियम 8 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप–नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप–नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकार सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 1994 में निर्धारित मानदण्ड के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–	(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 1994 में निर्धारित मानदण्ड के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–
(एक) गृह विभाग में शासन के यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव – अध्यक्ष	(एक) गृह विभाग में शासन के यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव – अध्यक्ष
(दो) कार्मिक विभाग में शासन के यथास्थिति प्रमुख सचिव या उनका नामनिर्देशिती, जो कि संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो – सदस्य	(दो) कार्मिक विभाग में शासन के यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव या उनका नामनिर्देशिती, जो कि संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो – सदस्य
(तीन) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश – सदस्य	(तीन) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश – सदस्य
(चार) पुलिस उपमहानिरीक्षक (प्रशासन), उत्तर प्रदेश। – सदस्य	(चार) पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), उत्तर प्रदेश। – सदस्य
टिप्पणी–चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछंड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नामनिर्देशन, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।	**टिप्पणी**–चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नामनिर्देशन, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।

नियम 13 का प्रतिस्थापन

5–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 13 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
वेतनमान 13–(1) सेवा में पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।	वेतनमान 13–(1) सेवा में पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।
(2) उत्तर प्रदेश पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 के प्रारम्भ होने के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं :–	(2) उत्तर प्रदेश पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2016 के प्रारम्भ होने के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं :–

स्तम्भ–1

विद्यमान नियम

पद का नाम	वेतनमान		
	वेतनबैण्ड का नाम	तत्सदृश्य वेतनबैण्ड (रू0)	तत्सदृश्य ग्रेड वेतन (रू0)
पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लिपिक शाखा)	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400 / –
पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा)	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400 / –
पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा)	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400 / –

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

पद का नाम	वेतनमान		
	वेतनबैण्ड का नाम	तत्सदृश्य वेतनबैण्ड (रू0)	तत्सदृश्य ग्रेड वेतन (रू0)
पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लिपिक शाखा)	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400 / –
पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा)	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400 / –
पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा / आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा)	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400 / –

आज्ञा से,
देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव।